

7-6-22

प्रतापलीपेश हुई। वक्तो ल पक्षकारान अनुपाहित ।
वक्तो ल वादी व वादी एवं प्रतिवादिओं को व्यापारिक
समय तक बार-बार आवाज लगावाई गई लेकिन
कोई उपाहित नहीं हुए। और ना ही प्रमाण
आमर दिने जाने पर प्रतिवादिओं को तलबी हेतु
तलवाना नोटिस पेश नहीं किया गया है।

कैस: वादी ना वाद अन्तगत धारा 53 रा. टी. ऐ०
प्रतिवादिओं को कोहे तलबी नोटिस तलवाना प्रमाण
आमर दिने जाने पर भी पेश नहीं किया गया है।
केसभाव में अन्तगत कोदेश 09 नियम 05 के
तहत खारिज किया जाता है। प्रतापलीपेश मुख-
युमार होना नम्बर सेना सेना वालिक
दफतर हो। निवास बुके व्यापारिक में सुनया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लेल
